70

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्वमण्डल सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2012-13

805
10.12.12

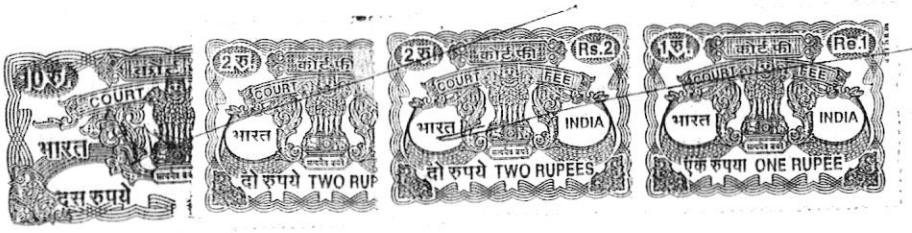

R-131-II/13

G.F. Rs. 20/-

अधिवक्ता श्री रजनीश द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि. 10.12.12

श्री नारायण प्रसाद दुबे तनय शिवटहल दुबे साकिन हटवा सोरहान,

तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र० ------- आवेदक निगराकार

विरुद्ध

1- हेतराम तनय रामटहलदुबे

2- विनय कुमार

3- राजभान

4- इन्द्रजीत

5-रामनिश्चय

तनको जानकी राम दुबे पांचों निवासीग्राम हटवा सोरहान, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र० ---------- अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज, जिलारीवा दिनांक16-10-12

बावत प्रकरण क्र018/अ-27/2010-11

----- -----------------------------

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता

सन 1959ई0

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य

यह कि अन्य के अतिरिक्त प्रकरण की विवादित भूमि से संबंधित विवाद को समझने केलिये निम्न वंशवृक्ष को दर्शाया जाना आवश्यक है

-2-

नारायण प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 131–दो/2013 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा के प्रकरण नंबर 18 अ–27/10–11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–10–12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 17 पर आदेश दिनांक 22–2–2007 से नायव तहसीलदार व्दारा प्रमाणित किये गये नामान्तरण के विरूद्व प्रस्तुत अपील में विलम्ब को क्षमा किया गया है। 3/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 16–10–12 के वाद पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का आदेश दिनांक 11–2–2013 से अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण यह निगरानी व्यर्थ है। प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत पाया गया कि जब अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण नंबर 18 अ–27/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–13 से अपील प्रकरण का निवटारा अंतिम रूप से कर दिया है, दुखी पक्षकार सक्षम न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश को चुनौती दे सकते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार का औचित्य न रहने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	